सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 226 राँची, मंगलवार, 17 मई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

11 मई, 2022

संख्या--5/आरोप-1-46/2017-5076 (HRMS)--श्री सुबोध कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रमकण्डा, गढ़वा के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1348, दिनांक 17.03.2017 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र-'क' में श्री कुमार के विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

1. इंदिरा आवास योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2010-11 में लाभुकों की निर्धारित संख्या (लक्ष्य) 81 के विरूद्ध 204 लाभुकों का चयन करना तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में लाभुकों की निर्धारित संख्या (लक्ष्य) 197 के विरूद्ध 296 लाभुकों का चयन करना, जो आदेश की अवहेलना एवं वित्तीय अनियमितता का परिचायक है ।

2. वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्धारित लक्ष्य 197 से 99 अधिक लाभुकों के चयन को छिपाने हेतु वर्ष 2010-11 की मूल योजना तथा मूल अभिलेख गायब करना तथा फर्जी योजना पंजी तैयार कर अभिलेखों में हेरफेर करना, जो इनके संदिग्ध आचरण एवं गंभीर अनियमितता का परिचायक है ।

3. वर्ष 2010-11 में प्रति इकाई इंदिरा आवास के लिए कर्णांकित राशि 45,000/- रूपये के विरूद्ध योजना पंजी एवं रोकड़ बही के अनुसार 28 लाभुकों को 45,000/- रूपये से अधिक का भुगतान किया गया, जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-5974, दिनांक 05.05.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 17.05.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-12210 दिनांक 14.12.2017 द्वारा उपायुक्त, गढ़वा से मंतव्य की मांग की गई। उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-108/स्था० दिनांक 19.03.2020 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गढ़वा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत संकल्प संख्या-6929 (hrms) दिनांक 17.07.2020 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-284 दिनांक 24.06.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया ,जिसमे निम्नवत् प्रतिवेदन है-
आरोप संख्या-01 - आरोपी पदाधिकारी का बचाव-बयान स्वीकृत योग्य प्रतीत नहीं होता है । आरोप प्रमाणित हैं ।
आरोप संख्या-02 - आरोपी पदाधिकारी का बचाव-बयान स्वीकृत योग्य प्रतीत नहीं होता है । आरोप प्रमाणित हैं ।
आरोप संख्या-03 - आरोपी पदाधिकारी का बचाव-बयान स्वीकृत योग्य प्रतीत नहीं होता है । आरोप प्रमाणित हैं ।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत सेवा सम्पुष्टि की तिथि से तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया है ।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-6741, दिनांक 01.11.2021 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की छायाप्रती श्री कुमार को भेजकर द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई है। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 11.02.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है, जिसमें इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है-

1. मेरे ऊपर लगाये गये तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड न्यायोचित नहीं है, क्योंकि आरोप सं०-1 के संबंध में संचालन पदाधिकारी ने केवल उपस्थापन पदाधिकारी का पक्ष लिया है। मेरे पक्ष पर ध्यान नहीं दिया गया है। उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-578, दिनांक 20.07.2011 के आलोक में आवास का लक्ष्य 207 निर्धारित किया गया, जिसके अनुरूप 204 लाभुकों का भुगतान किया गया। भारत सरकार के द्वारा समय पर रिपोर्ट नहीं जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए पूरा राशि नहीं दिया गया, सिर्फ आधा राशि ही उपलब्ध कराया गया। उपस्थापन पदाधिकारी से संशोधित पत्र-693, दिनांक 02.09.2011 का तामिला प्रतिवेदन की माँग की गई, तो उन्होंने तामिला प्रतिवेदन का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। तामिला प्रतिवेदन कार्यालय से ही गायब कर दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी तामिला प्रतिवेदन हेतु कोई कार्य नहीं किया गया। तामिला प्रतिवेदन से ही यह बात स्पष्ट हो पाता कि संशोधित पत्र निर्गत होने के कितने दिन बाद हमे उपलब्ध कराया गया। मैं अभी अन्त में भी सत्य कहता हूँ कि मुझे सहायक नुमान के द्वारा संशोधित पत्र ससमय नहीं दिखाया गया। जब पत्र के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुई तब तक 204 लाभुक का भुगतान हो गया था। जानकारी प्राप्त होते ही मैंने शेष लाभुक का भुगतान रोक दिया एवं 207 लाभुक का भुगतान नहीं हुआ। अनुमंडल पदाधिकारी, रंका ने अपने जाँच में लिखा है कि रमकण्डा प्रखण्ड कार्यालय में आगत पंजी में संशोधित पत्र का उल्लेख नहीं है, जिससे यह बात स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि संशोधित पत्र प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को कब प्राप्त हुआ। अनुमंडल पदाधिकारी, रंका का पत्रांक-464, दिनांक 17.05.2016 का अवलोकन किया जा सकता है। अतः संशोधित पत्र प्राप्ति का स्पष्ट तिथि का ज्ञान नहीं होने के कारण मुझे दोषी करार देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उपायुक्त, गढ़वा के साथ मासिक जिला स्तरीय बैठक में यह मामला उठा कि रमकण्डा प्रखण्ड में 204 आवास का भुगतान किया गया है। इस पर उप विकास आयुक्त कार्यालय, गढ़वा में सारा अभिलेख की माँग की गई। प्रखण्ड कार्यालय रमकण्डा से 204 अभिलेख जिला कार्यालय में जमा किया गया। पुनः सारा अभिलेख जाँच के बाद प्रखण्ड कार्यालय को वापस कर दिया गया। साथ ही भारत सरकार से शेष राशि हेतु पत्र प्रेषित किया गया। मेरे कार्यकाल तक भारत सरकार से शेष राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी थी पर मेरे कार्यकाल के बाद 2015 में शेष राशि उपलब्ध करा दी गई, जिस कारण सारा 204 आवास भौतिक रूप से पूर्ण है एवं ग्रामीण लाभुक रह रहे हैं। अतः भवदीय से सादर अनुरोध है कि मेरे उपर प्रतिवेदित दण्ड पर विचार करने की कृपा की जाय ।

2. आरोप सं०-2 में संचालन पदाधिकारी ने उपस्थापन पदाधिकारी के तथ्य को ज्यादा महत्व दिया है। मेरे द्वारा जो भी बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। सहायक, नाजिर एवं प्रधान सहायक भी सरकारी कर्मी होते हैं, उनका भी जवाबदेही है कि सरकारी कार्य सत्य निष्ठापूर्वक सम्पादित किया जाय। सहायक ने अभिलेख तैयार किया। प्रधान सहायक के द्वारा जाँच करने के बाद प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पास अभिलेख प्रस्तुत किया गया। उसके बाद मेरे द्वारा स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के योजना पंजी में 197 लाभुक का नाम ही

दर्ज है। मेरे कार्य अवधि में किसी ग्रामीण एवं अन्य व्यक्ति के द्वारा न ही प्रखण्ड में एवं न ही जिला में अधिक आवास स्वीकृति का कोई शिकायत किया गया। साथ ही मेरे कार्य अवधि में योजना सहायक के द्वारा अभिलेख गायब होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दिया जाना उसके सत्यनिष्ठा पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। कार्य की व्यस्तता रहती है। ऐसी स्थिति में कार्यालय के सरकारी कर्मी निष्ठापूर्वक कार्य नहीं करेगें तो अनियमितता होने पर सारा दोष प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। गौर करने की कृपा की जाय कि उस अवधि में मैं परीक्ष्यमान अवधि में था ।

3. आरोप सं०-3 में भी संचालन पदाधिकारी ने उपस्थापन पदाधिकारी के कथन को माना है। मेरे द्वारा समर्पित साक्ष्य के आधार पर कुछ भी नहीं लिखा है। मेरे द्वारा समर्पित साक्ष्य से स्पष्ट है कि योजना पंजी में लिखी गई राशि एवं कैशबुक में लिखी गई राशि में अंतर है, जबकि दोनों ही सहायक रामनाथ भगत के द्वारा तैयार किया गया है। योजना पंजी एवं कैशबुक का जाँच प्रधान सहायक के द्वारा किया गया है। कैशबुक में योजना संख्या एवं वित्तीय वर्ष का जिक्र नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कितना भुगतान किया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन आने के बाद जिस 28 लाभुक का भुगतान अधिक हुआ था, उन्हें नोटिस किया गया एवं उनके द्वारा राशि जमा किया गया। चूँकि अंकेक्षण मेरे कार्यकाल के बाद हुआ, इस कारण मेरे बाद के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने नोटिस किया एवं जो अधिक राशि का भुगतान हो गया था, उन्हें पुनः प्रखण्ड में जमा करा दिया गया। अतः जो सरकारी राशि अधिक व्यय हो गया, वह वापस प्रखण्ड कार्यालय में जमा हो गया ।

अतः अन्त में भवदीय से अनुरोध करता हूँ कि संचालन पदाधिकारी ने कही भी मेरे द्वारा समर्पित साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया है। रमकण्डा में पदस्थान के समय वर्ष 2010-12 में मैं परीक्ष्यमान अवधि में था। तृतीय बैच में प्रशिक्षण भी पूरा नहीं दिया गया। उस समय मैं लेखा परीक्षा भी पास नहीं किया था। अतः उस समय मुझे निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पूर्ण दायित्व का जानकारी नहीं था। उसके बाद मेरा जिस प्रखण्ड में पदस्थापन हुआ, वही कही से कोई वित्तीय अनियमितता का शिकायत या आरोप प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मेरे द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार की जाये एवं न्यायासंगत आदेश पारित की कृपा की जाय ।

श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है, जिससे इनके विरूद्ध आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित कर सके । यह भी उल्लेखनीय है कि प्रखण्ड स्तर पर श्री लव कुमार, तत्कालीन प्रधान सहायक एवं श्री रामनाथ भगत, तत्कालीन सहायक/नाजिर के विरूद्ध दण्ड अधिरोपित किया गया है तथा मो0 नुमान अंसारी, तत्कालीन सहायक के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री सुबोध कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रमकण्डा, गढ़वा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत सेवा सम्पुष्टि की तिथि से तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SUBODH KUMAR 110081163092	श्री सुबोध कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रमकण्डा, गढ़वा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत सेवा सम्पुष्टि की तिथि से तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सुबोध कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 226 -- 50